

2025/89

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 20/2025

दिनांक-28/4/25

अनवान

अनिल कुमार पुत्र मांजी लाल धाक ठरौर

विपक्षी स्वरूप की खेती को बेचें प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

जितेन्द्र पिला विजय सिंह सुराणा (जॉन) ठरौर

निगली बेचें को बेचें विपक्षी/विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:-

न्यायालय में अधिवक्ता श्री S.N. माहली के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा स्वरूप की पटवार हल्का रायपुरा की आराजी संख्या 449/339 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.4900 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा स्वरूप की खेती पटवार हल्का रायपुरा की आराजी संख्या 449/339 कुल कीता-01

कुल रकबा 0.4900 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता-

MP
उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2025

220

प्रार्थना पत्र संख्या

20/25

अनवान

अनिल/सिद्धि

दिनांक :- 28/4/25

प्रार्थना पत्र अ0धा10 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

MP
उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)